



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 वैशाख 1944 (श10)
(सं0 पटना 273) पटना, बृहस्पतिवार, 5 मई 2022

सं०सं०-पी० 2-5-02/2022-1791
निर्वाचन विभाग

संकल्प
4 मई 2022

विषय :- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-ECI/PN/26/2022 दिनांक 02.03.2022 द्वारा निर्गत प्रेस नोट के आलोक में बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2022 एवं वर्ष 2023 उप निर्वाचन के निमित्त मतपत्रों के मुद्रण हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131(ड) के तहत नामांकन के आधार पर पश्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी०टी० रोड, कोलकाता-700056 को प्राधिकृत करने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-ECI/PN/26/2022 दिनांक 02.03.2022 द्वारा निर्गत प्रेस नोट के आलोक बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2022 हेतु मतदान दिनांक 04.04.2022 एवं मतगणना दिनांक 07.04.2022 को सम्पन्न हुआ।

2. बिहार विधान परिषद् के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2022 मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में क्रमशः विभागीय पत्रांक-57 दिनांक 06.01.2022 एवं पत्रांक-310 दिनांक 27.01.2022 के द्वारा बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना से अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में अधीक्षक कार्यालय, बिहार सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना से प्राप्त पत्र सं०-08 दिनांक 08.02.2022 द्वारा सूचित किया गया कि बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन 2022 के मतपत्रों को ससमय मुद्रित कर उपलब्ध कराना पड़ता है। वर्तमान में प्रेस में एक भी Machine Man नहीं है तथा मात्र चार बाईन्डर हैं। साथ ही साथ अन्य तकनीकी कर्मचारियों की भी कमी है, इसके अतिरिक्त अन्य संसाधनों की भी कमी है। उक्त कमियों को दर्शाते हुए वर्तमान स्थिति में मतपत्रों के मुद्रण हेतु सचिवालय मुद्रणालय द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार विधान परिषद् के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन, 2022 के लिए मतपत्रों के मुद्रण हेतु मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता से मतपत्र मुद्रित किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक-544 दिनांक 11.02.2022 के आलोक में

मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता द्वारा मतपत्र मुद्रण के संबंध में सशर्त सहमति देते हुए सूचित किया गया कि 'मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता द्वारा बिहार विधान परिषद् चुनाव-2022 के संबंध में मतपत्र को ₹ 1.50 प्रति मतपत्र + 18% जीएसटी की दर पर प्रिंट करने के लिए सहमत हैं, जैसा कि पिछले उप निर्वाचन अक्टूबर, 2021 के महीने में मुद्रण किया था। बिहार विधान परिषद् के लिए बैलेट पेपर 75 जी.एस.एम. पिंक प्रिंटिंग पेपर में प्रिंट किया जायेगा। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि उक्त मतपत्रों का मुद्रण भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेश के आलोक में पूर्ण प्रमाण सुरक्षा के साथ किया जायेगा।'

4. बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतपत्रों का मुद्रण किया जाना अत्यावश्यक है, इन 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचकों की संख्या लगभग 1,32,037 (एक लाख बत्तीस हजार सैंतीस) है। निर्वाचकों की संख्या के 10 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्रवार मतपत्रों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार लगभग 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) मतपत्रों के मुद्रण की आवश्यकता होगी, जिसकी अनुमानित खर्च की राशि लगभग ₹3,00,000/- (तीन लाख रुपये) के अंतर्गत होगी तथा उक्त मतपत्रों का मुद्रण हिन्दी भाषा में होगा।

5. बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज़(ड) में नामांकन द्वारा बाह्य स्रोत से कार्य कराने का प्रावधान है, जिसमें अंकित है कि – "किसी आपवादिक स्थिति में विशेष रूप से चयनित संवेदक को कोई कार्य बाह्य स्रोत का दिया जाना अनिवार्य हो जाये तो विभाग के सक्षम प्राधिकारी आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से ऐसा कर सकते हैं। वैसे मामलों में ब्योरेवार औचित्य, चयन द्वारा कार्य को बाह्य स्रोत को सौंपने की स्थितियाँ एवं उससे पूरा होने वाले विशेष हित या उद्देश्य जो यह पूरा करेगा, प्रस्ताव का पूर्णकीय भाग होगा।"

बिहार वित्त नियमावली के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी प्रेस, गुलजारबाग के लिखित सूचना जिसमें मतपत्रों को स्थानीय स्तर पर मुद्रण करना संभव नहीं है। मेसर्स सरस्वती प्रेस, कोलकाता के पास राज्य के पिछले 20 वर्षों से अधिक समय का सभी लोकसभा आम निर्वाचन/सभी विधान सभा आम निर्वाचन/सभी उप निर्वाचन/सभी पंचायत आम निर्वाचन के मतपत्रों के छपाई का अनुभव है। कार्य की आवश्यकता एवं महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन 2022 एवं वर्ष 2023 में होने वाले उप निर्वाचन के मतपत्रों मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता के सुरक्षा विशेषताओं सहित कार्य के लिए दिनांक 03.03.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र से मुद्रण दर 1.5/- + 18% GST प्रति मतपत्र के आलोक में बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज़(ड) के अंतर्गत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। उक्त राशि का व्यय का विकलन मांग सं० 06 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष 0002-राज्य विधान परिषद् निर्वाचन, विपत्र कोड 06-2015001060002 एवं उपशीर्ष-0001 राज्य विधान सभा निर्वाचन के विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय विपत्र कोड 06-2015001060001 अंतर्गत आवंटित राशि से विकलनीय होगा।

उक्त कंडिका 3.4.5 पर मंत्रिपरिषद् के स्वीकृति के प्रत्याशा में सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-ECI/PN/26/2022 दिनांक 02.03.2022 द्वारा निर्गत प्रेस नोट के आलोक में बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2022 एवं वर्ष 2023 उप निर्वाचन के निमित्त मतपत्रों के मुद्रण हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज़(ड) के तहत नामांकन के आधार पर पश्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी०टी० रोड, कोलकाता-700056 से करा ली गयी एवं निर्वाचन कार्य सम्पन्न हो चुका है।

उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.04.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-10 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-प्रधान सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 273-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**